राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(33)वित्त/कर/2015 जयपुर दिनांक : 24.01.2019

आदेश

वाणिज्यिक कर विभाग की सहायक आयुक्त से उपायुक्त पद की वर्ष 2017–18 की विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 29.09.2017 को सम्पन्न बैठक में श्री अरविन्द मिश्रा, सहायक आयुक्त के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन प.1(8)कार्मिक/क–3/2017 दिनांक 02.03.2017 के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किये जाने तथा जांच लम्बित होने के कारण इनके प्रकरण में लिफाफा बन्द रखते हुए इनके लिए एक पद आरक्षित रखे जाने की अनुशंषा की गई (रिक्ति दिनांक 01.04.2017)

कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प.1(08)कार्मिक/क–3/2017 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा लम्बित प्रकरण में श्री मिश्रा पर आरोप प्रमाणित नही होने के कारण उनके विरूद्व प्रकरण समाप्त किया गया है, जिसके फलस्वरूप श्री मिश्रा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर नियमानुसार पदोन्नति के पात्र है।

अतः राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम 1971 (समय–समय पर संशोधित) के अन्तर्गत राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के उपायुक्त के पद की वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्व श्री अरविन्द मिश्रा, सहायक आयुक्त को उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाता है। श्री अरविन्द मिश्रा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर इस पद को क्रमोन्नत मानते हुए कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-
(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
7. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. संबंधित अधिकारी।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

F./Chetwani ji/CCT Letter New 105